भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 52

बुधवार, 07 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक विकास

52. श्री संजय भाटिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग विकास संबंधी जरूरतों और राष्ट्रीय उद्देश्यों आदि के अनुरूप औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति और रणनीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में एक मुख्य भूमिका निभाता है और उपयोगकर्ता द्वारा विभाग की भूमिकाओं और कार्यों के बारे में किस तरीके से जानकारी प्राप्त की जा सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विभाग द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मेरे संसदीय क्षेत्र में एफडीआई से संबंधित कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): उद्योग राज्य से संबंधित विषय है। तथापि, कार्य आबंटन नियमावली, 1961 के अनुसार 'सामान्य औद्योगिक नीति' तैयार करने और उसके कार्यान्वयन का कार्य उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग को सौंपा गया है। विभाग द्वारा औद्योगिक विकास के लिए कार्यान्वित की गई नीति और योजनाओं का विवरण विभाग की वेबसाइट https://dpiit.gov.in/ पर उपलब्ध है। क्षेत्रगत मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), वस्त्र मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आदि अपने कार्य क्षेत्र के तहत आने वाले औद्योगिक विकास संबंधी योजनाओं और नीतियों को कार्यान्वित करते हैं।

(ख): एफडीआई नीति एक समर्थकारी नीति है जो सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने निवेशक-अनुकूल नीति तैयार की है, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। भारत को और अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य स्थल बनाने के लिए, हाल ही में, रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में एफडीआई नीति में सुधार शुरू किए गए हैं।

(ग): एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह संबंधी जिले-वार सूचना, एफडीआई न्यूज़लेटर में तिमाही आधार पर प्रकाशित की जाती है और इसे विभाग की वेबसाइट के यूआरएल:https://dpiit.gov.in/publications/si-news-letters पर जाकर देखा जा सकता है।

*****